


20/6/17
7/7/17

अहकाम
(नियम 26)

मुकाम म 257

बनाम: श्री. गोरखनाथ - श्री. रामेश्वर शर्मा

मुकदमा नं. 51, L.R. 1922 नं. 51 सन 17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17-5-17	<p>पत्रवाही हुकम कर के पेश की गई वार अहकाम को रजि. नं. 2-राज-ब आर. नं. 1956-को करार 51 का जोरदार नशी कर पत्राव 15/5/17 को पेश है</p> <p style="text-align: center;">  तहसीलदार गहवा (दौसा) राज </p>	
2-6-17	<p>पत्राव पेश हुई, अतिरिक्त 3 प्रमाण आये हैं। अतिरिक्त द्वारा 50, 52 पेश किए, उक्त प्रमाण प. 0 साख्य 30/6/17 पर पेश हुए हैं।</p>	गोरखनाथ
20-6-17	<p>पत्राव पेश हुई, अतिरिक्त प्रमाण नहीं आये। अतिरिक्त द्वारा 50, 52 पेश किए, उक्त प्रमाण प. 0 साख्य 30/6/17 पर पेश हुए हैं।</p>	गोरखनाथ
7/7/17	<p>पत्रावली पेश हुई आज लगावड़े हुए अतिरिक्त अनुपस्थित हैं आज श्रीमान पी. 0 साख्य नंबर पर पेश किए हुए हैं।</p>	गोरखनाथ

गोरखनाथ

गोरखनाथ

गोरखनाथ

मुकाम

बनाम

हुक्म

नं

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाइ गई आलेकमी अनुपास्थित रहा आज श्रीमान पी.० साध्व आलेकमी के पत्रावली दिनांक 28/8/17 को पेश हो	
28/8/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाइ गई आलेकमी अनुपास्थित रहा आज श्रीमान पी.० साध्व तांबेरी पधारे हुए हैं पत्रावली दिनांक 27/9/17 को पेश हो	
27/9/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाइ गई आलेकमी अनुपास्थित रहा आज पी.० साध्व मीरिंग के पधारे हुए हैं पत्रावली दिनांक 10/10/17 को पेश हो	
10/10/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाइ गई आलेकमी अनुपास्थित रहा आज पी.० साध्व मीरिंग के पधारे हुए हैं आलेकमी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 26/10/17 को पेश हो	<p style="text-align: right;">तहसीलदार महका जिला दोसा (राज.)</p>

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

म.न. 567
सं.नं. 567

26/1/17

पत्रावली पेश हुइ आवज लवाइ गइ अतिकमी उपरिमत भाथा ह अतिकमण किथा जना स्वीकार किथा अथा अतः गुरु सुभगद की अतिकमि अति अतिकमी को लपदरक किथा जात ह विस्तृत विषय पृथक से लिख जाकर अलग पत्रावली ह।

तहसीलदार
महवा (दौसा) राज

जोस

21/1/17

21/1/17

21/1/17

21/1/17

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

56/17

बनाम

श्री: गोरधन, धीरूवल,
दारे पुत्र मूलचन्द
करवा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 26/10/2017

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री गोरधन, धीरूवल, दारे पुत्र श्री मूलचन्द जाति करवा निवासी रामगढ़ तहसील महवा ने संवत् 20-74 फसल रवि / खरीफ में ग्राम रामगढ़ की राजकीय आराजी खसरा नं. 248 रकबा 09 किस्म मूखत भूमि से 02 रकबा पर अनाधिकृत रूप से पाटोले कब्जा कर अतिचार कर लिया है।
पत्रावली पेश करके

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली हैं।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश ~~नहीं~~ किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।
जोशिमैरुपवाली

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.74 का 50 गुना 37.50 रु. की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
महवा (दौसा) राज

रजिस्टर म/घ को पेश नं. 15 पर
वर्ष 2017-18 फसल नीलामी
की 37.50 रु. पे.
रजिस्टर